स्टेट बनाम चन्दो आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
16/8/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण बावजुद विधिवत सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं। इसलिये प्रतिवादीगण के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में ली जाती है। राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 541 की 5.134 है. भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जिप्सम का खनन किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादीगण को कृषि कार्य हेतु दी गई है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से जिप्सम खनन किया जा रहा है। अतः वादी वादी डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा पूरबसर के ख.नं. 541 की 5.134 है. भूमि को आराजीराज दर्ज की जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 16/8/2024 को सुनाया गया। सहायक क[illegible]क्टर एवं उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.31 16:28:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 30 / 2018 अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व) पल्लू जिला हनुमानगढ।

बनाम

चन्दोदेवी पत्नी काशीराम, आत्माराम पुत्र काशीराम, भगवानी पत्नी काशीराम, संतलाल, लाधुराम, सीमा, इन्द्रा पुत्र/पुत्रीयां काशीराम, चन्दोदेवी पत्नी काशीराम, भगवानी पत्नी आदुराम जाति नायक, भागीरथ पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल साकिन सुरपुरा तहसील नोहर, पदमाराम, सोहनलाल पि. रेवन्ताराम, भगवानी पत्नी आदुराम, लाधुराम पुत्र आदुराम, औमप्रकाश पत्नी सुरता बुधराम, मांगीलाल, सुनिता, रामप्रताप पुत्र/पुत्रीयां माता सुरता, सुमित्रा पत्नी गोविन्दराम, पवन पुत्र गोविन्दराम जाति नायक निवासी पूरबसर तहसील पल्लू।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– पेरोकार राज–वादी

निर्णय दिनांक– 16/8/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिकी करते हुए रोही मौजा पूरबसर के ख.नं. 541 की 5.134 है. भूमि को आराजीराज दर्ज की जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को बैदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16/8/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.31 16:28:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner